# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 188 / 2019 | तारीख दायरा 24.10.2019 | तारीख फैसला 18-8-25

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

## उनवान

1– हेम राज सिंह आत्मज रूप सिंह जाति राजपूत आयु 48 वर्ष निवासी रुग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– तेज कवर पुत्री रूप सिंह पत्नी राज सिंह जी जाति राजपूत निवासी मोरी के हनुमान जी के मन्दिर के पास, गांधी चोक, रामपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा

2– पदम बाई पुत्री रूप सिंह पत्नी प्रहलाद सिंह जी जाति राजपूत

3– संतोष बाई पुत्री रूप सिंह पत्नी केसर सिंह जी जाति राजपूत

4– मोहन बाई पत्नी स्व० रूप सिंह जी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम रुग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

### –:: निर्णय ::–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम रुग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी न० 4 के पति रूप सिंह आत्मज नृसिंह जी जी के खाते में खसरा नम्बर 108 की 1.61 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में हो रहा है।

2– यह कि उपरोक्त भूमि वादी के पिता के स्वय के खाते की भूमि है वादी अपने पिता का इकलौता पुत्र है इस कारण खातेदार रूप सिंह जी ने अपने जीवनकाल उपरोक्त भूमि की वसीयत अपनी स्वेच्छा से दो गवाहों के समक्ष दिनांक 5–6–2014 को आलेखित की तथा रूप सिंह जी द्वारा वसीयत को स्वीकार कर गवाहान के समक्ष अपनी निशानी अगूंठा किया व गवाहान ने भी अपने हस्ताक्षर / अगूठे किये व उसे अपनी स्वंय की इच्छा से उपपजीयक दीगोद के समक्ष पंजीयन करवाया। जिसका पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक दीगोद के यहां दिनांक 5–6–2014 को हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

3– यह कि खातेदार रूप सिंह जी अपने जीवन काल तक उक्त भूमि के खातेदार काबिज काश्त रहे और रूपसिंह जी का देहावसान दिनांक 18–1–2018 को हो गया और उनकी मृत्यु के बाद से वादी उक्त वसीयत के आधर पर उक्त भूमि पर काबिज हो गया व उक्त भूमि का खातेदार हो गया है।

4– यह कि वादी ने उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी नं0 5 को रूप सिंह जी का इन्तकाल वादी के नाम खोले जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया किन्तु सरसरी तोर पर प्रतिवादी नं०6– यह कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गयी है और वादी को वसीयत से प्राप्त उक्त भूमि के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमादा रहते है तथा वादी को उक्त भूमि से बैदखल करने की धमकी देते रहते है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

7– यह कि वादी ने उक्त भूमि को रूप सिंह जी की वसीयत के आधार पर अपने नाम ही दर्ज रखने व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने को दिनांक 10–10–2019 को कहा तोप्रतिवादी गण द्वारा अपना नाम हटाने से इन्कार करते हुये प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे वादी को उक्त भूमि से बैदखल कर देगें ओर उक्त भूमि को रहन बेचान कर देगें।

8– यह कि उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है।

9– यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि पर से वादी को बैदखल करने, कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व भूमि को खुर्द बुर्द रहन बेचान करने की धमकी देने पर एव प्रतिवादी नं० 1 ता 4 का नाम हटाने से इन्कार करने पर दिनांक 10–10–2019 को पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि यादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

(I). कि ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 108 की 1.61 हेक्टर भूमि का खातेदार रूप सिंह जी की वसीयत के अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाये तथा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण न० 1 ता 4 का नाम हटाया जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे ।

(II). कि प्रतिवादी नं0 5 को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे।

(III). कि एक स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी गण उपरोक्त ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 108 की 1.61 हेक्टर भूमि को अथवा उसके किसी भाग व हिस्से की भूमि को किसी प्रकार से रहन व बेचान व खुर्द बुर्द व अन्तरण नहीं करे।

(IV). कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

(V). कि अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2069–2072 ग्राम रूग्घी खाता सं0नया 99
2. नकल वसीयतनामा दिनांक 05.06.2014
3. नकल मृत्यु प्रमाण पत्र रूप सिंह
4. नकन जमाबंदी नामान्तरण दिनांक 14.05.2018
5. नकल जमाबन्दी सवंत् 2073–2076 ग्राम रूग्घी खाता सं0नया 104

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री गिरीराज मीणा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। इकबालिया जवाब दावा दिये जाने से पत्रावली को साक्ष्यवादी में नियत किया गया।वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी में स्वयं वादी हेमराज सिंह आत्मज रूप सिंह जाति राजपूत निवासी रूग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

उभयपक्षकार अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादीगण एवं संलग्न अन्य दस्तावेजात का आधोपान्त गहन अवलोकन,अध्यन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रूग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 108 की 1.61 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम डिलिट किया जाकर सम्पूर्ण आराजी का वादी हेमराज को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

# मूल वाद में डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

### उनवान

1– हेम राज सिंह आत्मज रूप सिंह जाति राजपूत आयु 48 वर्ष निवासी रुग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– तेज कवर पुत्री रूप सिंह पत्नी राज सिंह जी जाति राजपूत निवासी मोरी के हनुमान के मन्दिर के पास, गांधी चोक, रामपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा कोटा

2– पदम बाई पुत्री रूप सिंह पत्नी प्रहलाद सिंह जी जाति राजपूत

3– संतोष बाई पुत्री रूप सिंह पत्नी केसर सिंह जी जाति राजपूत

4– मोहन बाई पत्नी स्व० रूप सिंह जी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम रुग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेष होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम ग्राम रुग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 108 की 1.61 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम डिलिट किया जाकर सम्पूर्ण आराजी का वादी हेमराज को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रूपयै | पैसे | मुदालयह | रूप्ये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)